रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042025-262765 CG-DL-E-29042025-262765

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

No. 232]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2025/वैशाख 9, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2025/VAISAKHA 9, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नर्ड दिल्ली, 29 अप्रैल, 2025

सं. 40/2025

सा.का.नि. 271(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2025 है।
 - (2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 12 में,--
 - (क) उपनियम (1) में,--
 - (i) "2024" अंक के स्थान पर, "2025" अंक रखा जाएगा ;

2845 GI/2025 (1)

- (ii) खंड (क) में, उपखंड (iii) में, शब्दों के लिए " शीर्ष के अधीन कोई भी हानि सम्मिलित नहीं है, "शब्द " शीर्ष के अधीन कोई भी हानि सम्मिलित नहीं है; या" प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (iii) खंड (क) में, उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - '(iv) "पूंजी अभिलाभ", जहां निर्धारिती को धारा 112क के अधीन एक लाख पच्चीस हजार रुपये से अनिधक केवल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ है और उसको, शीर्ष के अधीन आगे लाई गई कोई हानि या आगे ले जाई जाने वाली कोई हानि नहीं है,';
- (iv) उपनियम (1) के खंड (गक) में, "िकसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो कारबार आय व्युत्पन्न करने वाला व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जो मामूली तौर पर निवासी से भिन्न निवासी है या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न कोई फर्म, जो निवासी है, और ऐसी आय की संगणना, कारबार या वृत्तिक का लाभ या अभिलाभ और धारा 44कघ, धारा 44कघक में निर्दिष्ट विशेष उपबंधों के अनुसार आय की संगणना की जाती है और ऐसी आय की संगणना के लिए अधिनियम की धारा 44कड़ सुगम (आई टी आर-4) प्ररूप होना चाहिए ।" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "िकसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जो मामूली तौर पर निवासी से भिन्न निवासी है, या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न कोई फर्म है, जो निवासी है, और,--
 - (i) जिसकी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अधीन व्युत्पन्न होती है और ऐसी आय की संगणना, ऐसी आय की संगणना के लिए अधिनियम की धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड में निर्दिष्ट विशेष उपबंधों के अनुसार की जाती है ; और
 - (ii) "पूंजी अभिलाभ", यदि कोई हो, जहां निर्धारिती को धारा 112क के अधीन एक लाख पच्चीस हजार रुपये से अनिधक केवल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ है,

प्ररूप सुगम (आई टी आर-4) में होगी और उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित की जाएगी ।" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

- (ख) उपनियम (5) में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2024" अंक रखे जाएंगे ।
- 3. नियम 11ख में, "प्ररूप सं0 1खक में घोषणा फाइल करे" शब्दों के पश्चात्, "और उसे आय की विवरण के साथ प्रस्तुत करेगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
- 4. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में,--

[भाग II—खण्ड 3(i)]

(क) प्ररूप आईटीआर-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

		भारतीय आय-कर विवरणी			निध	र्गरण	वर्ष		
<u>ጉ</u>	आईटीआर -1 सहज	[ऐसे व्यष्टि के लिए, जो निवासी (मामूली तौर पर निवासी से भिन्न) है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिसकी वेतन, एक गृह संपति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि), धारा 112क के अधीन 1.25 लाख रुपए तक दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ और 5 हजार रुपये तक की कृषि आय से आय हैं] [ऐसे व्यष्टि के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध साम्य शेयरों में निवेश किया है या ऐसी दशाओं में, जहां 194ढ के अधीन स्रोत पर कर काटा गया है या यदि ईएसओपी पर आय-कर स्थगित है) या जिसकी भारत से बाहर अवस्थित संपत्ति (जिसमें किसी अस्तित्व में वितीय हित भी हैं) (पात्रता के लिए निर्देश देखें)	2	0	2	5	-	2	6

भाग क साधार	भाग क साधारण जानकारी																												
	Ш	П	(क2)	(क	4) उ		तारी	ख				(क	5)	<u>э</u> п	धार	नं	बर	(1	2:	<u></u> अंक	5)								
(क1)			प्रथम नाम					वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	Ť	Í					Ì			Í					П			T
स्थायी			(क2 क)																										
खाता			मध्य नाम																										
संख्या			(क3)																										
			अंतिम																										
	Ш		ा नाम																										
(布6)															-														
मोबाइल नंबर																	. T	(布)	11)	श	हर/	शह	र/ि	ोला					
	(क 12) राज्य (क 13) देश (क 14) पिन का 15) धारा के अधीन □ 139(1) नियत तारीख पर या उससे पूर्व, □139(4) -विलंबित,														न व	कोड	5												
(क15) धारा वे	म् अध	नि	□ 139(1) -	तारी	ख प	र या	उसर	मे पूर्व	, o	139	(4)	- ि	वेलं	बेत	Γ,	(2	क 1	7)	रो	जग	गर	की	प्रव	कृति	ī -				
फाइल			□139 (5) -	पुन	रीक्षि	त, L]11	9 (2)	(ख)) - दे	री की	ो म	ाफी	के	प	श्चा	त्		já	न्द्री -	य र	परव	कार		l रा	ाज्य	सर	का	₹
<i>(</i> टिक)] ₹	गर्वः	जिन	ोक	क्षे	त्र दे	के उ	उपब्र	न्म,		
<i>[</i> कृपया निर्देश	देखें]																	पें	খন	भो	गी-ः	सीउ	जी		पेंश	ानर-	-एस	जी	
(क16) या धार			139(9) ,		42(1).		148.	1	53 ग													-पी		•••				
अधीन नोटिस		तर में	_ :::(:),		(,,		,	_																	न्य I		त्रागृ	Ĺ
फाइल किया ग	ाया																	ਜ	हीं	(जै	सं	कुटुं	ब ।	पेंश	न .	आरि	₹)		
(क18) यदि पु	नरीक्षि	ात/ द	। षपूर्ण है, तो म	ूल f	वेवर	णी व	गिर	सीद	संख्य	ा औ	τ															Τ			_
फाइल करने र्क	क18) यदि पुनरींक्षित/ दोषपूर्ण है, तो मूल विवरणी की रसीद स् <mark>गइल करने की तारीख दर्ज करें। (</mark> तारीख <i>!</i> माह/वर्ष <i>)</i>																										1	1	
(क19) यदि ध	थारा 1	39(9)/142(1)/148/	ग वे	_र अ	धीन	नोटि	स है	या	धारा	11	9(2	2)(₹	ॿ)	के	31	धी	न											
आदेश के उत्तर					्नीक	र संर	<u> ज्या</u>	/ दस	तावेड़	न पह	चान	संख	या	(डी	3115	ईए॰	न)	औ	₹								1		1
ऐसे नोटिस या	आदेः	श की	तारीख दर्ज क	रें																									

(क20) क्या आप नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के लिए धारा 115 खकग (6) के अधीन विकल्प का (डिफ़ॉल्ट "नहीं" है) □ हाँ □ नहीं	उपयोग करना चाहते हैं?
(क21) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय-कर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? - (टिक) □ हाँ □ नहीं	अन्यथा आय-कर विवरणी
यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 139(1) के अधीन आय की विव्ह है, लेकिन धारा 139(1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण रहा है)]	3
(i) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है।? (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
(ii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
(iii) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(टिक) □ हाँ □ नहीं

भाग ख	सव	न्ल कु	ल आय		केवल पूरा रुपया (₹)		
ख1	i	सकल	वेतन (iक + iख + iग+ iघ+ iङ)			i	
		क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक			
		ख	धारा 17(2) के अनुसार अनुलाओं का मूल्य	iख			
		ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग			
			धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए				
		घ	सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय (देश ड्रॉप डाउन ई-	iघ			
			फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाएगा)				
वेतन/पेशन			धारा 89क के अधीन अधिस्चित देश के अलावा किसी				
		ङ	अन्य देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	i ङ			
		धारा	10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग	3 Ч	योगिता में प्रदान किए		
नन/ऐ	ii	जाने	वाले ड्रॉप डाउन) (सुनिश्चित करें कि यह वेतन आय में	सरि	म्मिलित	ii	
क्		है)17	7(1)/17(2)/17(3))				
	ii क	कटौर्त	ो: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा	की	गई आय	iiक	
	iii	शुद्ध	वेतन (i - ii-iiक)			iii	
- -	iv	धारा	16 के अधीन कटौती (ivक + ivख + ivग)			iv	
		क	धारा 16 (iक) के अधीन मानक कटौती i	∨क			
		ख	16(ii) के अधीन मनोरंजन भता i	∨ख			
		ग	धारा 16(iii) के अधीन व्रतिक कर i	∨ग			

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

	٧	'वेतन	ा' मद के 3	ाधीन प्रभारित	आय (iii -	iv)				ख1			
ख2	लाग	गू विक	ल्प पर टिक	न करें □ स्व	ा-कब्जे □	किराए पर⊏] किराए	पर समझ	ा गया				
	i	वर्ष के	दौरान प्राप	त/प्राप्य/अनुपय	गेज्य/अनुम	ते योग्य म्	ल्य			i			
	ii	स्थानी	य प्राधिकारि	रेयों को कर क	ग भुगतान '	किया गया	ii						
	iii	वार्षिक	मूल्य (i -	· ii)			L			iii			
	iv	वार्षिक	मूल्य का	30%			iv						
۸E	.,	उधार	ली गई पूंज	ी पर देय ब्या	ज (ई-फाइरि	त्रेंग उपयोगि	ाता में						
संपति	•	प्रदान	किए जाने	वाले ड्रॉप डाउन	न में विवरण	ा भरा जान	र है) ^v						
हुन हिं	vi	वर्ष के	दौरान प्राप	त बकाया/अप्रा	प्त किराया	30% से व	ग्म vi						
		_	संपति ' (iii										
		अधीन	प्रभारित 3	गय									
			•	संपत्ति से आ	ख2								
			000 रुपए है उपयोग क	है। अग्रनीत औ `									
			,	ा आदि को ई- जाना है और									
					~ `	ख3							
				तेमाही विवरण									
	का	उल्लेख	करें)										
	कटौ	ती: धा	रा 57 (ii ब										
	कटौ	ती: धा	रा 89क के	अधीन कराधा	न से राहत	के लिए दा	वाकी गः	ई आय					
	सक	ल कुल	आय (ख 1	+ ख2 +ख3)	(यदि हानि	हो, तो अ	ांकड़े को व	नकारात्मव	 ह में रखें)				
ख4	टिप्प	् पण: हा	नि के अग्रेप	षण व सम्चच्च	यन का लाभ	ा उठाने के	लिए, कृप	या आईर्ट	ोआर -2 का	ख4			
		योग क		3			·						
भाग ग	- कटौती और कर योग्य कुल आय (आय-कर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के वि									नेर्देश	ा देखें)		
80ग (ई	ई- <mark>80गगग 80गगघ(1)</mark> 80गगघ(1ख) <mark>80गगघ(2) 80गगज 80घ 80घघ 80घघ</mark>										ङ (ई-फाइलिंग	80ङङ (ई-फार्झ	लेंग
फाइलिंग		(ई-	(ई-फाइलिंग		(ई-फाइलिंग	(ई-	(ई-	(ई-फाइलिंग			उपयोगिता में प्र		
उपयोगित में प्रदान			उपयोगिता	उपयोगिता में	उपयोगिता		फाइलिंग	फाइलिंग	उपयोगिता में		ज्य जाने वाले ज्यान	किए जाने वाले डाउन में विवर	_
म प्रदान किए जा				प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप	में प्रदान किए जाने				प्रदान किए जाने		ॉप डाउन में रण भरा जाना) इंडिन में विवर भरा जाना है	
वाले ड्रॉ			वाले ड्रॉप	डाउन में	वाले ड्रॉप			में प्रदान किए उपने	वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा	.44	है)	ordi olloli 6	,
	में वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा डाउन में							ाकए जान वाले ड्रॉप	म ।ववरण मरा जाना है)		*/		
विवरण			विवरण भरा	जाना है)	विवरण भरा		डाउन में	डाउन में	Sile (1 (7)				
भरा जा	ग वि	वेवरण	जाना है)		जाना है)		विवरण	विवरण					
है)	भर	रा जाना					भरा जाना	भरा जाना					
		है)					है)	है)					

80डड़क 80ड़ड़ख (ई- (ई- (ई- फाइलिंग उपयोगिता के उपयोगि	0∩ನನವ	90ನನಾನ	80छ	80छछ (ई-	80छछक	80छछग	90 333	90 عتاء	80 प	ई-फाइलिंग	
फाइलिंग फाइलिंग प्राविता में प्रवान किए जाने वाले ड्रॉप जाना है) विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) कुल कटौती कुल कटौती कुल अदिया और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है जिस पर कोई कर संदेय नहीं है जिस करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए							00 ननक	60 ୩୩ਖ਼			
उपयोगिता उपयोगिता अपयोगिता अपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप जाना है) विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) कुल कटौती ग्रा जाना है) कुल कटौती ग्रा जाना है) कुल कटौती ग्रा जाना है) विवरण भरा जाना है) कुल कटौती ग्रा जाना है) कुल करौती ग्रा जाना है) इं-फाइलिंग उपयोगिता में छूटप्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और ध उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए				The state of the s	(ई-फाइलिंग	(ई-			(ई-फाइलिंग	उपयोगिता के	
में प्रदान में प्रदान किए जाने किए जान					उपयोगिता	फाइलिंग			उपयोगिता में	अनुसार कोई	
में प्रदान में प्रदान किए जाने किए जाने किए जाने किए जाने किल होंप डाउन में विवरण भरा जाना है) किए जाने विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) किए जाने विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) किए जाने विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) किए जाने विवरण भरा जाना है) किए जाने विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) किए जाने विवरण भरा जाना है) किए जाने विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) किए जाने विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) किए जाने विवरण भरा जाना चाहिए					में प्रदान	उपयोगिता			प्रदान किए जाने	अन्य कटौती (ई-	
किए जाने किए जाने किए जाने वाले ड्रॉप जाना है) विवरण भरा जाना है।			ויוטא ויי	जाने वाले ड्रॉप	किए जाने	में प्रदान					
वाले ड्रॉप वाले वाले ड्रॉप वाले ड्रॉप वाले ड्रॉप वाले वाले ड्रॉप वाले ड्रॉप वाले ड्रॉप वाले ड्रॉप वाले वाले ड्रॉप वाले वाले ड्रॉप व	किए जाने	किए जाने	किए जाने	डाउन में	वाले ड्रॉप	किए जाने			में विवरण भरा	-	
डाउन में डाउन में विवरण विवरण भरा जाना है। विवरण भरा जाना है। विवरण भरा जाना है। विवरण भरा जाना है।	वाले ड्रॉप	वाले ड्रॉप		विवरण भरा		वाले डॉप			जाना है)		
विवरण विवरण भरा जाना भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) विवरण भरा जाना है) कुल कटौती गा कुल आय (वी4-गा) रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए छूटप्राप्त आय और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए	डाउन में	डाउन में		जाना है)					,		
भरा जाना भरा जाना है) भरा जाना है) भरा जाना है) जुल कटौती गा गा जाना वाहिए रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए छूटप्राप्त आय और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए	विवरण	विवरण			जाना है)	विवरण					
है) है) है) है) है) है) है। है) है।	भरा जाना	भरा जाना			J						
कुल कटौती ग्रा कुल आय ग्राथ (बी4-ग्रा) ग्राथ विविद्यापत आय और आय, इं-फाइलिंग उपयोगिता में छूटप्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और ध जिस पर कोई कर संदेय नहीं है उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए										6)	
गिर्पोर्टिंग उद्देश्य के लिए छूटप्राप्त आय और आय, ई-फाइलिंग उपयोगिता में छूटप्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और ध जिस पर कोई कर संदेय नहीं है उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए			17	" -		()					
रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए छूटप्राप्त आय और आय, ई-फाइलिंग उपयोगिता में छूटप्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और ध जिस पर कोई कर संदेय नहीं है उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए			कुल क	टौती				ਜ਼1		कुल आय	т?
जिस पर कोई कर संदेय नहीं है उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए								*1 1		(बी4-ग1)	°1 ∠
जिस पर कोई कर संदेय नहीं है उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए	रिपोर्टिंग	ग उददेश्य	के लिए इ	ष्ट्रप्राप्त आय ३	और आय,	र्ร-फाडलिं	ग उपयोगि	ता में छ	टप्राप्त आय की	प्रकृति. ससंगृत र	वंड और धारा का
State Mark The III office and		•	•	`		44		•••			
आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है :		101(1	17 117 11	र राज्य गाला ए			૩ ૯લ હ	करत हुए	१ ञ्राप ठाउन अट	तान किया जाना व	шьс
	आय, जि	स पर को	ई कर संदे	य नहीं है :							
i. कुल विक्रय प्रतिफल		i. कुल ੀ	वेक्रय प्रतिप	क ल							
ii. अर्जन की कुल लागत		ii. अर्जन	न की कुल	लागत							
					क्तिक गंजी						
iii. धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी				जनुसार दायक	गालक पूजा						
अभिलाभ		आभैलाभ	Ŧ								

		भाग घ - संदे	य देय कर व	ी संग	णना									
ម 1	कुल आय पर देय कर	घ2	धारा 87 ए अधीन छूट			ម3	छूट के पश्चात कर							
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ घ3 पर 4%	घ5	कुल कर 3 उपकर	भौर		ਬ6	धारा 89 के अधीन (कृपया इस राहत क करने के लिए प्ररूप 10 करना सुनिश्चित करें)	न दावा) ङ जमा						
घ7	धारा 234क के अधीन ब्याज	घ8	ब्याज											
घ10	234च के अधीन शुल्क	घ11	,											
घ12	भुगतान किए गए कुल कर	ਬ13	देय राशि (घ11-घ12 (यदि घ11>घ12	,		ਬ14	प्रतिदाय (घ12-घ11) (यदि घ12>घ11)							
	ङ - अन्य जानकारी के दौरान किसी भी सम	नय भारत में रखे	गए सभी बैंक	खातों	का विवरण (नि	ष्क्रिय खात	ों को छोड़कर)							
क्र. सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का	नाम		खाता संख्या		खाते का प्रकार (ई- फाइलिंग उपयोगिता		सी उधार के लिए ग चयन करें					

		द्वारा प्रदान किया जाने वाला ड्रॉपडाउन)	
I			

- 1. निष्क्रिय खातों को छोड़कर, किसी भी समय खोले गए सभी बैंक खातों की रिपोर्ट देनी होगी।
- 2. उधार प्रतिदाय के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए।
- 3. यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं तो विवरणी की प्रक्रिया के बाद भी सीपीसी द्वारा तय किए गए मान्य खातों में से एक में प्रतिदाय का भुगतान कर दिया जाएगा ।

					अनुस्	्ची-आई	टी अग्रि	म कर	और स्व	-निध	र्गरण	कर	. भुग	तान व	ना वि	वरण								
							बीएस अ	ार कोड	5	जम	ा क	रने व	की त	ारीख	चाल	गन व	का सीरि	यल न	नंबर	व	र क	ा भुग	तान	
											(ता	⁄माह	/वर्ष))										
							स्तंभ	(1)			₹	तंभ	(2)			₹	न्तंभ (3)			स्तं	भ (4)	
आर	[1																							
आ	₹																							
2																								
					_	•			गेएस/टीस	गिएस		न	विवर	ण [कटौर्त	ीकर्ता	i(ओं)/बि	ोयोक्त	T(ओं)	द्व	रा	जारी	प्रर	रूप
					16/1	6 क/16ग	T/ 27 घ	के अनु	सार]															
	क	टौतीव	कर्ता/व	कलेक	टर	कटौतीक	र्ता/कले	क्टर/	धारा,	जिस	के	सक	ल		कर			कटौ	ती/संब	गृहीत	(5)	में	से इ	इस
						किरायेद	ार का ब	नाम	अधीन	स्रो	त	भुग	तान/	प्राप्ति	कट	ौती/र	मंग्रह ण	किय	ा गय	ा कर	वर्ष	दाव	T ि	र्भ
	वि	भरायेट	द्रार	;	की				पर	व	न्र	जो		कर	का	वर्ष					गए			
	पैव	न/आध	धार र	प्तंख्या	Г				कटौती	2	की	कटो	ति/सं	ग्रह							टीई	ोएस/	टीसीप	रस
	पैन/आधार संख्या							गई है			के उ	अधीन	हो।							जम	ıΤ			
	स्तंभ (2)					स्तं	भ (3 क)	स्तंभ	(3ख)	ŧ	तंभ	(4)	₹	ह्तंभ	(5)	₹	तंभ (6)		स्तंभ	(7)	
टी	গ্ৰ																							
टी	टी																							

सत्यापन

प्राप्तव	न्तो	पदधारी
की	स्टाम्प	ग रसीद
संख्या	, मुहर,	तारीख
और ह	स्ताक्षर	τ

मैं, पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ट	ज से घोषणा करता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, विवरणी 🛚 में
दी गई जानकारी सही और पूर्ण	है और आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषण
करता हूं कि मैं	् के प्ररूप में अपनी क्षमता में यह विवरणी दे रहा हूं (ई-फाइलिंग उपयोगिता मे
प्रदान किया जाने वाला ड्रॉप डाः	उन) और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम
हूं। मेरे पास स्थायी खाता संख्य	॥ है। (कृपया निर्देश देखें)।
तारीख:	हस्ताक्षर:

[कृपया निर्देश देखें*]*-

। यटि	विवरणी	कर f	तेत्रप	ர் 2 5	சாச ச	ਨਾਰੇ	വരി ((टी भा	ज्यी) ट	खाग र	ते या ः	т Га	न्या र	ाया है	हे तो	ਂਛੀ	ने '	भीगि	สิสมบ	τž						
	गीकी प				411		आरप			(GIVI	(ISII	, 15	791 3	1511					ंटर ह							
यदि टी	।)आरपी ३	सरकार	से f	केसी	प्रतिप	ूर्ति व	नि हव	नदार	है, तो	उसकी	ो रा	शि														
						•																				
(ख) प्र	रूप आई	टीआर	-4 ₹	नुगम	के वि	त्रेए, र्	नेम्ना	लेखि	त प्ररूप	न रखा	जा	एगा	, अथ	र्गत् :												
									भारती	य आ	य-क	र वि	वेवरर्ण	ì												
									ॉं (एला ४– ०										_			नि	र्धारण	ा वर्ष		
									गैर जि के अध				•								1		ı			_
후	आईटी३	गर -4	1	.25 व	गख र	हपए त	क दी	र्घकालि	क पूंर्ज	1 अभि	लाभ	है]														
ከ ነት ሺ"	सुगम		_						यातो									•	` '							
		या यि या जि											_	0	2	5	- 2	6								
			3	है																						
	(पात्रता के लिए निर्देश देखें)																									
	भाग क साधारण जानकारी															_										
	भाग क साधारण जानकारी (क1) प्रथम नाम (क2) मध्य नाम (क3) अंतिम नाम (क4) स्थायी खाता संख्या																									
(क1)	प्रथम न	ाम					(क	3) 3	र्गितम	ना	म		(ক4	!) ₹º	गर्यो च	खात	ा स	ख्या	1 1							
/ E\	जन्म त	- 1 /											/=6	ं) फ्रे	\ \-/-	Lat	TT/=	<u> </u>	<u> </u>							
(পত)	जिल्ला त	Rie	ग०न	ו (כוו	./عالى. ا	744)													(পট) Y	10/4	रपाउ	лі/∝с	๚ห	٦	
(क 7 `) परिसर	 /भवन/	/गांव	का न	 गम							(क 8)	सडक	/गली	/पो	₹Z.		(क 9)) क्षेत्र	ग/ ∓ थ	गनीर	गता			
()	,	-1-1-11											०, ऑफिर		, , , , , ,	,	•		(,, 41	., .					
(क10) शहर/श	हर/जि	ला							(क 1	1) ₹	ाज्य	Γ	((क 12	?) दे	श		(क1	3) f	नेन व	कोड/	ज़िप	कोड		
(क1 4) आधार	नंबर	(12	अंक)										ı					(ক1	5) प्र	ास्थि	ाति				
																				डेट □			•••	ਜ □	फब	र्म
						1	I	<u> </u>		1									(एल	एलर्प	क	अल	ावा)			
(T40	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		- />			4 >							/ - -1	7) -	\perp				(1	۰۰ ۹			. 1	/	<u>-</u> \	_
(क16) एसटीडी कोड/मोबाइल नंबर 1 के साथ आवासीय फोन नंबर											4		(क।	/) म	ोबाइत	71 6	191	2	(୩	8) ई	म ल	ча	-1	(+ q•	1)	
																			र्डमे	न्न पत	п -2)				
																			V							
											मार ⊑] स	। ार्वर्जा	। नेक	। । क्षेत्र व	】 新 3	। उपक्र	_ ਸ □	। । पेंशव	नभोर्ग	ो-सी	जी ।	J Ť	शनभ	ोगी-	_
1			-																							
(क20	सजी 🗖 पेंशनभोगी-पीएसयू 🗖 पेंशनभोगी- अन्य 🗖 क20)(क) यू/एस द्वारा फाइल <i>(</i> टिक <i>)</i>											1)-	निय	त ता	रीख	पर	या	उससे	पूर्व,		39(4)-	निय	त ता	रीख वं	के

पश्चात

पश्चात, 🗆 139(5)- संशोधित विवरणी , 🗅 119(2)(ख)- देरी की माफी के

(ख) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया	ग
(क21) यदि पुनरींक्षित/दोषपूर्ण है तो मूल विवरणी की रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (ता./माह/वर्ष) दर्ज करें।	1 1
(क22 यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अधीन	
आदेश के उत्तर में फाइल किया जाता है दिया जाता है - विशिष्ट संख्या/दस्तावेज़ पहचान संख्या	1
(डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें।	
(क23) क्या आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 में धारा 115खकग(6) के अधीन प्ररूप 10-1डक में नई कर विकल्प का प्रयोग किया है?	ं व्यवस्था से बाहर रहने के
(क) □ हां (यदि 'हां', तो कृपया निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए प्ररूप 10-1डक प्रस्त्त करने की तार्र	ोख और पावती संख्या प्रदान
करें) क्या आप वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर रहना जारी रखना चाहते हैं?	
(यदि 'नहीं' तो कृपया निर्धारण वर्ष 2025-26 के के लिए प्ररूप 10-1डक दाखिल करने की तारीख और	पावती संख्या प्रदान करें)
(ख) □ नहीं (कृपया नहीं चुनें, भले ही प्ररूप 10-1ड़क को निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए नियत तारी हो) क्या आप क्या आप वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते	ख के बाद दाखिल किया गया
(यदि 'हां' तो तो कृपया वित्तीय वर्ष 2025-26 के के लिए प्ररूप 10-1डक दाखिल करने की तारीख औ	
ाँ। वार्म नहीं (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आई.टी.आर. प्ररूप 1/ प्ररूप 2 में दाखिल किया गय	
वर्तमान कर निर्धारण वर्ष के लिए नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं? 🗖 हां 🗖 नहीं	.,
 (यदि 'हां' तो तो कृपया वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्ररूप 10-1ड़क दाखिल करने की तारीख और प	गवती संख्या प्रदान करें)
िटप्पण- धारा 115खकग(6) के तहत विकल्प प्ररूप 10-1ङक में धारा 139(1) के तहत रिटर्न दाखिल	करने की नियत तारीख को या
उससे पहले किया जाना चाहिए।	
(क24) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय-कर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन	अन्यथा आय-कर विवरणी
प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? (फर्म के मामले में लागू नहीं) - (टिक) 🛮 हाँ 🗖 नहीं	
यदि हां, तो कृपया ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की गई निम्नलिखित जानकारी प्रस्त्त करें	
 [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 139(1) के अधीन आय की विव	ारणी प्रस्तत करना अपेक्षित
नहीं है, लेकिन धारा 139(1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के का	5
फाइल कर रहा है)]	
(i) क्या पिछले वर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में आपने 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि	
या कुल राशि जमा की है ? (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
(ii) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक	
की राशि या कुल राशि का व्यय किया है।? (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
। (॥) क्या भापन पत्तप के टामन बिन्ना का मधन पर १ नाम उपरा में भारत का गांश या कन	
(iii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
, ·	धनराशि (रु) (यदि हाँ है) (टिक) 🛘 हाँ 🗖 नहीं
राशि का व्यय किया है। (हां नहीं) (iv) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार	(टिक) □ हाँ □ नहीं
राशि का व्यय किया है। (हां नहीं) (iv) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाउन मेन् से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(टिक) □ हाँ □ नहीं

(2)	प्रतिनिधि की हैसियत
(3)	प्रतिनिधि का पता
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/आधार नंबर

भाग	ख	सकल कुल आय			केवल पूरे -	• रुपया (₹)
ख 1	टय	वसाय और पेशे से आय (टिप्पण-अनुसूची बीपी के ई 8 से मूल्य दर्ज करें)			ख 1	
	i	सकल वेतन (iक+iख+iग+iघ+iङ)_	i			
ख2						
		किधारा 17(1) के अनुसार वेतन	i क			
		धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य ख	iख			
		गधारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग			
		धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय (देश ड्रॉप घ डाउन ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाएगा)	iघ			
		धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में रखे गए सेवानिवृति लाभ खाते से आय	iङ			
		धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने डाउन) [सुनिश्चित करें कि यह 17 (1)/17 (2)/17 (3) के अधीन वेतन आय में सम्मिलित है		ड्रॉप	ii	
	iiЭī	घटाएँ: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय			iiЭī	
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii-iiक)		iii		
रंशन	iv	धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख+ivग)	iv			
वेतन/पेंशन		धारा 16(आईए) के अधीन एक मानक कटौती क	ivक			
		खधारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख			
		गधारा 16(iii) के अधीन व्यावसायिक कर	i∨ग			
	٧	वैतन' शीर्षक के अधीन प्रभारित आय (<i>iii - iv) (टिप्पण -</i> "अनुसूची टीडीएस 1" भरना सुनि	श्चत	करें)	ख2	
ख3		ग् विकल्प पर टिक करें स्वतः कब्जा 🗖 किराए पर 🗖 किराए पर समझा गया जाए 🗖				
	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य			i	
	ii	स्थानीय अधिकारियों को भुगतान किया गया कर	ii			
संपति	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)			iii	
		~	iv			
गृह	ı	उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	V			
	vi	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अवसूल किराया 30% से कम	vi			

	गृह संपत्ति' (iii - iv - v) + vi (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) शीर्षक के अधीन प्रभार्य vii आय: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपए है। अग्रनीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।	ख 3				
ख 4	रखे गए लाभांश और सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में, धारा 234ग टिप्पण से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें-					
	टिप्पण - यदि लागू हो तो "एसएच टीडीएस 2" भरें। कम: धारा 57 (iiक) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)					
	कमः धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय					
	सकल कुल आय (ख1 + ख2 + ख 3 + ख 4) नुकसान के सेट और आगे बढ़ने का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।	ख5				

भाग	भाग ग- कटौती और कर योग्य कुल आय (आय-कर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देशों को देखें)								
ग 1	80 ग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में	ग2	80गगग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में	ग3	80गगघ (1)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में	
		प्रदान किए जाने			प्रदान किए जाने			प्रदान किए जाने	
		वाले ड्रॉप डाउन में			वाले ड्रॉप डाउन			वाले ड्रॉप डाउन में	
		विवरण भरा जाना			में विवरण भरा			विवरण भरा जाना	
		है)			जाना है)			है)	
ग4	80गगघ	(ई-फाइलिंग	ग5	80गगघ	(ई-फाइलिंग	ग6	80ਬ	(ई-फाइलिंग	
	(1ख)	उपयोगिता में		(2)	उपयोगिता में			उपयोगिता में	
		प्रदान किए जाने			प्रदान किए जाने			प्रदान किए जाने	
		वाले ड्रॉप डाउन			वाले ड्रॉप डाउन			वाले ड्रॉप डाउन में	
		में विवरण भरा			में विवरण भरा			विवरण भरा जाना	
		जाना है)			जाना है)			है)	
ग 7	80ਬਬ	(ई-फाइलिंग	ग8	80घघख	(ई-फाइलिंग	ग9	80ਝ	(ई-फाइलिंग	
		उपयोगिता में			उपयोगिता में			उपयोगिता में	
		प्रदान किए जाने			प्रदान किए जाने			प्रदान किए जाने	
		वाले ड्रॉप डाउन			वाले ड्रॉप डाउन			वाले ड्रॉप डाउन में	
		में विवरण भरा			में विवरण भरा			विवरण भरा जाना	
		जाना है)			जाना है)			है)	
ग10	80ङङ	(ई-फाइलिंग	ग 11	80ङङक	(ई-फाइलिंग	ग12	80 ङङख	(ई-फाइलिंग	
		उपयोगिता में			उपयोगिता में			उपयोगिता में	
		प्रदान किए जाने			प्रदान किए जाने			प्रदान किए जाने	
		वाले ड्रॉप डाउन			वाले ड्रॉप डाउन			वाले ड्रॉप डाउन में	
		में विवरण भरा			में विवरण भरा			विवरण भरा जाना	
		जाना है)			जाना है)		_	है)	
ग13	80छ	(ई-फाइलिंग	ग 14	80छछ	(ई-फाइलिंग	ग15	80छछग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता	
		उपयोगिता में प्रदान			उपयोगिता में प्रदान		(विवरण ई-	में प्रदान किए जाने	
		किए जाने वाले ड्रॉप			किए जाने वाले ड्रॉप		फाइलिंग यूटिलिटी	वाले ड्रॉप डाउन में	
		डाउन में विवरण भरा			डाउन में विवरण भरा			विवरण भरा जाना है)	
		जाना है)			जाना है)		में प्रदान किए		

							जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)			
ग16	80ननक		ग17	80ननख		ग18	80 ਧ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)		
ग18क	80गगज		ग 18 ख	उपयोगिता के	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)					
ग19	कुल कटौी	तेयां (ग1 से ग18र	ख तक	मद जोड़ें)					ग19	
ग20	कराधेय वु	ल आय (ख 5 - ग	19)						ग20	

भाग घ	- कर संगणना और कर प्रास्थिति		
	कल आय पर देय कर (ग20)	ម 1	
	3	41	
घ 2	87क पर छूट	घ2	
ਬ3	छूट के पश्चात् देय कर (घ 1- घ 2)	ਬ3	
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ [(घ)3 का 4%]	घ 4	
ਬ 5	कुल कर, और उपकर (घ3 + घ4)	ਬ5	
	धारा 89 के अधीन अनुतोष (कृपया इस अनुतोष का दावा करने के लिए प्ररूप 10 ङ जमा करना सुनिश्चित	ਬ6	
	करें)		
घ 7	अनुतोष के पश्चात् शेष कर (घ 5 - घ 6)	घ 7	
ਬ8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	ਬ8	
ਬ9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	ਬ9	
घ10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ10	
घ11	धारा 234च के अधीन फीस	घ11	
घ12	कुल कर, फीस और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ12	
घ13	कुल अग्रिम कर का संदाय	घ13	
घ14	कुल स्व- निर्धारण कर का संदाय	घ14	
ម 15	कुल दावाकृत टीडीएस (अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग)	घ15	
ਬ16	कुल संगृहीत टीसीएस (अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल)	घ16	
घ17	संदाय किए गए कुल कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ 17	
घ18	देय रकम (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ18	
घ19	प्रतिदाय (घ17 - घ12, यदि घ17 > घ12)	घ19	

	केवल रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए छूटप्राप्त आय (यदि कृषि आय 5,000/- रुपये से अधिक है, तो आईटीआर 3/5 का उपयोग करें) और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और धारा	ਬ20	
	का उल्लेख करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली ड्रॉप डाउन)		
घ 21	आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है :		
	धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है		
	i. कुल विक्रय प्रतिफल		
	ii. अर्जन की कुल लागत		
	iii. धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		

	घ21 पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)									
l⊨		क्र.सं.	बैंक का	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाते का प्रकार (ई-फाइलिंग	प्रतिदाय जमा के लिए खाते का			
खाता			आईएफएस			उपयोगिता द्वारा प्रदान किया जाने	चयन करें			
檀		i								
		ii								
	1			1		1	1			

- 1. निष्क्रिय खातों को छोड़कर, किसी भी समय धारित सभी बैंक खातों की रिपोर्ट करनी होगी।
- 2. प्रतिदाय जमा के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए ।
- 3. यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं तो विवरणी की प्रक्रिया के बाद भी सीपीसी द्वारा तय किए गए मान्य खातों में से एक में प्रतिदाय का भुगतान कर दिया जाएगा ।

अनुसूच	अनुसूची बीपी - कारबार या वृत्ति से आय का विवरण								
धारा ४४कघ के अधीन उपधारित कारबार आय की संगणना									
क्र.सं.	व्यव	विवरण:							
(i)									
ङ 1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां (ङ1 2 करोड़ रु. तक सीमित है, तथापि यदि [ङ1ख + ङ1ग], ङ1 के 5% से कम या बराबर है तो ङ1 के अधीन सीमा 3 करोड़ रु. तक बढ़ा दी जाती है।								
	क		बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम ोख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम	ङ1क					
	ख	नकद में प्राप्तियां		ङ 1 ख					
	ग	क और ख से भिन्न वि	केसी अन्य पद्धति	ङ1ग					
ङ2	धारा 44कघ के	अधीन उपधारित आय							
	क	ङ1क का 6% या अर्जित	न की गई रकम, जो भी अधिक हो,	ङ 2 क					
	ख	(ङ1ख +ङ1ग) का 8% अधिक हो।	या अर्जित की गई रकम का दावा किया गया है, जो भी	ङ 2 ख					
	ग	कुल (क + ख)		ङ 2 ग					
			परोक्त प्रतिशत से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा म आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।						

O 4	14 > a	न कारबार से उपधारित अ	A					
. 1	4कथक के अधा ः 			न।	व्यवसाय			
क्र.सं.		व्यवसाय का ना	विवरण:					
(i)								
ਭ3	सकल प्राप्तियां	(ङ3 50 लाख रु.तक सी	मित है, तथा	पि यदि ङ 3 ख	+ ङ3ग ङ3 के 5%	6 से कम या	ਭ3	
	बराबर है तो ङ	3 के अधीन सीमा 75 ल	ाख रुपये तक	बढ़ा दी जाती	है।			
	क	आदाता चेक या आदाता	ं बैंक ड्राफ्ट य	ग बैंक इलेक्ट्रॉ	निक समाशोधन प्र	णाली के	ङ 3 क	
		माध्यम से प्राप्त या नि	र्दिष्ट तारीख	से पहले प्राप्त	त या निर्धारित इले	क्ट्रॉनिक मोड		
		के माध्यम से						
	ख	नकद में प्राप्तियां					ङ 3 ख	
	ग	क और खंसे भिन्न	केसी अन्य पर	द्धति			ङ 3 ग	
ਭ 4	धारा 44कघक	के अधीन उपधारित आय	(ई 3 का 5 0	0%) या अर्जि	त की गई रकम,	जो भी अधिक	ਭ 4	
	हो।							
	टिप्पण- यदि ३	गय सकल प्राप्तियों के 50	0% से कम है	s, तो 44 कख	के अधीन कर लेखा	परीक्षा करना		
	अनिवार्य है औ	र लागू अन्य आईटीआर प	फाइल किया उ	जाना चाहिए।				
							I.	l
धारा 4	4कङ के अधीन	माल गाड़ियों से उपधारित	न आय की संव	गणना				
क्र.सं.		व्यवसाय का ना	म		व्यवसाय	कोड	विवरण:	
(i)								
	माल गाड़ियों	<u>चाहे स्वामित्व/ पटटे</u>	माल ढुलाई	उन महीनों	की संख्या जिनके	माल ढलाई	के लिए धारा	44 कङ के
	<u>की</u>	<u>पर लिया गया हो /</u>	<u>की टन</u>	<u>लिए</u> ३	<u>नालगाडी का</u>		मानित आय ('	
	<u>रजिस्ट्रीकरण</u>	किराए पर लिया गया	<u>क्षमता</u>	<u>स्वामित्व</u>	<u> 'पट्टे/निर्धारिती</u>	टन से अधि	क टन भार हो	ने पर प्रति
	<u>संख्या</u>	<u>हो</u>	<u>(मीट्रिक</u>	द्वारा किरा	ए पर लिया गया	माह @ 100	00 रुपये प्रति	टन या फि
			<u>टन में)</u>		<u>খা</u>	_	<u>पये प्रति माह)</u>	
							<u>करने का दाव</u>	•
						रकम,	जो भी उच्चत	<u>र हो</u>
(i)	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
(क)								
(ख)								
आवश्य	। कितानुसार पंक्ति	विकल्प जोड़ें (वर्ष के दौ	रान किसी भी	समय यानों	की संख्या 10 यान	। ों से अधिक न	हीं होनी चाहिए	i),
ਭ 5	धारा 44कङ [स	तंभ (5)] के अधीन माल	ढ्लाई से अन्	मानित आय			ङ5	
		ाभ धारा 44 कङ के अध	•	•	किसी भी समय	स्वामित्व वाले		
		ा 10 से अधिक है, तो अ						
ਭ 6		!दाय किया गया वेतन 3			"		ਭ 6	
	टिप्पण - यह व	केवल फर्मी द्वारा भरा जा	ाना है					
ਭ 7		- न उपधारित आय (ङ 5 -ङ(ਭ 7	
ਭ8	'व्यवसाय या व	ति ' (ङ2ग + ङ4 + ङ7)) शीर्ष के अर्ध	ोन प्रभारित अ			ਤ 8	

जीएस	जीएसटी के लिए सूचित कारोबार/सकल प्राप्ति के बारे में जानकारी							
टिप्पण	टिप्पण - कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए नीचे दी गई जानकारी पृथक से प्रस्तुत करें।							
ਭ9	जीएसटीआईएन संख्या (संख्याएं).	ਭ9						
ਭ10	फाइल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी आपूर्ति का वार्षिक मूल्य	ङ10						
कारबार	का वित्तीय विवरण							
टिप्पण	- ङ11 से ङ25 के लिए 31 मार्च, 2025 तक की जानकारी प्रस्तुत करें।							
ਭ11	भागीदारों / सदस्यों की अपनी पूंजी	ਭ11						
ਭ12	सुरक्षित ऋण	ਭ12						
ਭ13	असुरक्षित ऋण	ਭ13						
ਭ14	अग्रिम	ਭ14						
ਭ15	विविध लेनदार	ਭ 15						
ਭ16	अन्य दायित्व	ਭ16						
ਭ17	कुल पूंजी और दायित्व (ङ11 + ङ12 + ङ13 + ङ14 + ङ15 + ङ16)	ङ17						
ਭ18	अचल संपत्तियां	ਭ 18						
ਭ19	सूची	ਭ 19						
ਭ20	विविध देनदार	ਭ20						
ਭ21	बैंकों के साथ शेष रकम	ਭ21						
ਭ22	केश-इन-हैंड	ङ22						
ਭ23	ऋण और अग्रिम	ਭ23						
ਭ24	अन्य संपत्तियां	ङ24						
ਭ25	कुल संपत्ति (ङ18+ङ19+ङ20+ङ21+ङ22+ङ23+ङ24)	ङ 25						
	 कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें (ड15, ड19, ड20, ड22 अनिवार्य हैं और यदि उपलब्ध हैं) 							

अनुसूची	अनुसूची आईटी अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर संदाय का विवरण																										
	बीएसआर कोड ज								ा कर	ने व	ने त	ारीख	(त	T/#T/	वर्ष)		चा	लान	नं.			कर	का	संद	ाय		
		स्तंभ (1)							स्तंभ (2)							₹	तंभ	(3)			;	स्तंभ	(4))			
द1																											
द2																											
43																											
टिप्पण	•	घ	<i>13</i> 3	और १	च <i>14</i>	में अ	ग्रिम	कर	और	स्व-	निर्धा	रण	कर व	के यं	ोग द	र्ज व	_{नरें}	•		•	•	•	•				

	अनुसूची टीसीए	स स्रोत पर एकः	त्र किए गए कर का विवरण [कलेक्टर(ओं) द्वारा	जारी प्रर	ष्प २७घ के अनुसार]								
क्र.सं.	संग्रहकर्ता का कर संग्रहण	संग्रहकर्ता का	प्ररूप 26 कध में उल्लिखित संदाय की गई	कर	दावा की जा रही (4)								
	खाता संख्यांक	नाम	रकम का विवरण	संग्रह	रकम में से								
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ	स्तंभ (5)								
				(4)									
i													
ii													
	टिप्पण ▶ कृपया घ 16 में अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल योग दर्ज करें												

_	अनुसूची टीडीएस-1 वेतन से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण												
अनुस्	वा टाडाएस-१ व	वतन संस्रात पर काट गए कर का विवरण											
[नियोक्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]													
	टैन	नियोक्ता का नाम	वेतन के अधीन आय	कर में कटौती									
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)									
घ1													
घ2													
घ3													
टिप्पण	घ घ ग ग	अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएर	म 2 के स्तंभ 6 का कुल योग दर्ज क	ť									

अनुसूची टीडीएस-2 वेतन से भिन्न आय से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण : [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क या प्रस्तुत किए गए प्ररूप 16ग या प्ररूप 16घ के अनुसार] पेशकश की गई क्र.सं. कटौतीकर्ता अदावाकृत टीडीएस वर्तमान वितीय टीडीएस जमा, टीडीएस धारा, का टेन/ वर्ष का टीडीएस तदन्रूपी प्राप्ति/ जिसके अग्रनीत किया गया जिसका इस वर्ष जमा अधीन निकासी किराएदार दावा किया जा को का पेन/ स्रोत पर रहा है (केवल यदि अग्रणीत इस वर्ष कर के आधार कर किया कटौती की लिए संबंधित संख्या जा रहा गई है प्राप्ति की कर के है लिए पेशकश की जा रही है, यदि टीडीएस धारा 194ढ के अधीन काटा जाता है तो लागू नहीं) दावा किया गया वितीय अग्रेषित कटौती किया सकल आय वर्ष. टीडीएस गया टीडीएस टीडीएस रकम जिसमें शीर्ष कटौती की गई (1) **(2**क) (2ख) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	17
1111 4 5 5(1)	11 (1 11 (1911) . 9 (1191)	1 /

i														
ii														
टिप्पण	टिप्पण घ15 में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 6 और अनुसूची टीडीएस 1 के स्तंभ 4 का योग दर्ज करें ।													

सत्यापन

मैं,प्त्र/प्त्री	अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास	से घोषणा करता/करती हूं कि विवरणी में
दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनि		•••
मेरीकी हैसियत से (ई-फाइलिंग यूटिति	न्नेटी में ड्राप डाउन प्रदान किया जाए)	विवरणी प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं इस
विवरणी को प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के लिए	भी समर्थ हूं । मैं स्थायी खाता संख्यांव	हधारक हूं । (कृपया
निर्देश देखें)		
स्थान:		यहाँ हस्ताक्षर करें→
तारीख:		
यदि विवरणी एक टैक्स विवरणी तैयार करने वाले	ो (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है, त	ो निम्नानुसार और ब्यौरे दें:
टीआरपी पिन (10 अंक)	टीआरपी का नाम टी	आरपी के प्रति हस्ताक्षर
टीआरपी को संदत्त की जाने वाली रकम		

[फा. सं. 370142/3/2025-टीपीएल] सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा0कानि0 252(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2025 द्वारा किया गया।

स्पष्टीकारक जापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2025

No. 40/2025

- G.S.R. 271(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Income-tax (twelfth Amendment) Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 12,—
- (a) in sub-rule (1),
 - (i) for the figures "2024", the figures "2025" shall be substituted;
 - (ii) in clause (a), in sub-clause (iii), for the words "does not have any loss under the head, "the words "does not have any loss under the head; or" shall be substituted.
 - (iii) in clause (a), after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely,—
 "(iv) "Capital gains", where assessee has only long-term capital gains under section 112A not exceeding one lakh twenty-five thousand rupees and does not have any brought forward loss or loss to be carried forward under the head,"
 - (iv) in clause (*ca*), for the words, figures and letters "in the case of a person being an individual or a Hindu undivided family, who is a resident other than not ordinarily resident, or a firm, other than limited liability partnership firm, which is a resident deriving income under the head "Profits or gains of business or profession" and such income is computed in accordance with special provisions referred to in section 44AD, section 44ADA and section 44AE of the Act for computation of such income, be in Form SUGAM (ITR-4) and be verified in the manner indicated therein:", the words, figures and letters "in the case of a person being an individual or a Hindu undivided family, who is a resident other than not ordinarily resident, or a firm, other than limited liability partnership firm, which is a resident,—

- (i) deriving income under the head "Profits or gains of business or profession" and such income is computed in accordance with special provisions referred to in section 44AD, section 44ADA and section 44AE of the Act for computation of such income; and;
- (ii) has, "Capital gains", if any, where assessee has only long-term capital gains under section 112A not exceeding one lakh twenty-five thousand rupees,

be in Form SUGAM (ITR-4) and be verified in the manner indicated therein" shall be substituted;

- (b) in sub-rule (5), for the figures "2023", the figures "2024" shall be substituted.
- 3. In the principal rules, in rule 11B, after the words, figures and letters "Form No. 10BA", the words "and furnish the same along with the return of income" shall be inserted.
- 4. In the principal rules, in Appendix II,—
 - (a) for FORM ITR-1, the following FORM shall be substituted, namely: —

"FORM	ITR-1 SAHAJ	
"FORM		

INDIAN INCOME TAX RETURN

[For individuals being a resident (other than not ordinarily resident) having total income upto Rs.50 lakh and having Income from Salaries, one house property, other sources (Interest etc.), long-term capital gains under section 112A up to Rs. 1.25 lakh, and agricultural income up to Rs.5 thousand]

[Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or in cases where TDS has been deducted u/s 194N or if income-tax is deferred on ESOP or has assets (including financial interest in any entity) located outside India]

(Refer instructions for eligibility)

2	0	2	5	_	2	6
		_			_	

Assessment Year

PART A GENERAL INFORMATION (A2) First (A4) Date of (A5) Andhaar Number (12 digits)													
(A2) First (A4) Date of (A5) Aadhaar Number (12 digits) Name Birth													
		Name	Birth										
(A1) PA N		(A2a) Middle Name (A3) Last name	D D M M Y Y	Address: (A8) Flat/Door/Block N									
(A6) Mobile	1	of Premises/Building/Village (A10)											
No.	cality (A11) To V code	wn/City/District (A12) State											
(A15) Filed u/s (Tick)		e of employment-											
[Please see instruction]			ovt. □ State Govt. □ Public										
(A16) Or Filed in resp		Revised, □119(2) □ 139(9), □ 1426	Sector Undertaking □ Pensioners-CG □										
notice u/s	•		,			G □ Pensioners-PSU □							
					Pensioners- 0	Others Others Not							
					Applicable (e	e.g. Family Pension etc.)							
(A18) If revised/defect (DD/MM/YYYY)	ive, then e	nter Receipt No. a	nd Date of filin	ng original return									
(A19) If filed in res	ponse to	notice u/s 139(9)/	/142(1)/148/153	C or order u/s 119(2)(b)- e	nter Unique								
Number/Document Id					•								
(A20) Do you wish to e	exercise the	e option u/s 115BA	C(6) of Opting	gout of new tax regime? (defau	ılt is "No") □	Yes □ No							
(A21) Are you filing re	eturn of inc	come under Seven	th proviso to se	ection 139(1) but otherwise not	required to fu	rnish return of income? - (Tick)							
☐ Yes ☐ No													
If yes, please furnish fo													
				urn of income under section 13	39(1) but filing	return of income due to							
	ulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]												
	-			ate of amount exceeding Rs. 2 l	akhs for								
travel to a foreign	country fo		Amount (Rs) (If Yes)										

(i	-	-	u incurred ex of electricity (-			nount (exceedir	ng Rs. 1 lakh on		Amou	ınt (Rs) (If Ye	s)	
		sumption.	01 0100011010; (g p		(100,110)					111100	(113) (11 11	<i>-</i> ,	
,	ii) pro	-	-		-	_			clause (iv) of seve p-down menu)	nth	(Tick) □ Yes □ No		
PAR	T F	3 GROS	S TOTAL II	NCOME								Whole- Ru	pee (7) o	nly
B1	i	Gross Sala	ary (ia + ib +	ic+id+ie)						i				
		a Salary	as per section	17(1)				ia						
		b Value o	f perquisites a	as per sectio	n 17(2)			ib						
		c Profit i	n lieu of salar	y as per sect	tion 17(3)			ic						
7						ntained in a no provided in e-fi		id						
SALARY / PENSION		other th	an notified co	ountry u/s 8	9A	ntained in a cou	·	ie						
/ PE	ii		ances to the e		i	i								
RY		-	at it is included											
LA			ome claimed f	or relief fro	m taxation u		ii							
\mathbf{S}^{A}		Net Salary			ii									
	IV		s u/s 16 (iva			i	7							
		 	rd deduction i		•••			iva						
			inment allow	,	11)			ivb ivc						
			ional tax u/s 1	. ,										
D2			argeable und				-4 O4			В	1			
BZ						It Deemed I	zet Out	Į.		i				
			to local author		lable value u	uring the year		ii						
×		_	alue (i – ii)	ities				11		ii	:			
RT	_		nnual Value					iv		11	1			
PE				rowed conit	al Dataila ana t	o be filled in the dro		IV						
HOUSE PROPERTY	v		d in e-filing utility)	Towcu capit	at (Details are i	o de fillea in the aro	puown	v						
JSE			nrealised ren					vi						
НО		negative) Note: - Max	_	n House Proj	erty that can	eerty' (iii – iv – be set-off is INR			put the figure in	rry	32			
В3	e-fil bene	ing utility s efit accoun	specifying natu	re of income a notified c	and in case	of dividend inco	me ana	l Income	tc. to be provided to from retirement eakup for allowing		33			
	Les	s: Deductio	on u/s 57(iia)	(in case of fa	mily pension	only)								
	Les	s: Income	claimed for r	elief from ta	exation u/s 89	9A								
В4	Gro	ss Total Ir	ncome (B1+B2	2+ B3) (If loss	, put the figure	in negative)					34			
						please use ITR -								
PAR	T (JCTIONS A	ND TAXA	ons for Deduction li	mit as p	er Incon	ne-tax Act)	1					
80C (Detail are to filled the dr down provid in e-fit utility,	be in op to be led ling	80CCC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCD(1) Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCD(1B) Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing	80DD (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	filled in the down to b	Details are to be led in the drop win to be lovided in e-filing provided in e-filing love to be lov							

80EEA	80EEB 80G		80GGA	80GGC	80TTA	80TT				ther	
(Details	(Details are (Details are	to (Details the	`	(Details are to be					Deduction		
	be to be filled in be filled in	iii or jiiiii iii	be filled in the drop down to be	filled in the drop down to be					per the e-fi	ling	
filled in i	the the drop drop down to wn down to be provided in	oc mop	provided in e-				down	to be led in e-filing	utility		
	be provided in filing utility)		filing utility)	filing utility)			utility		(Details are i		
providea	e-filing	e-filing						,	filled in the down to	arop be	
	ng utility)	utility)							provided in		
utility)									filing utility)		
Total o	leductions			C1					Total Inco	me C2	
				C1					(B4-C1)	C2	
Exemp	t Income For reporting	g purpose and	Drop	down to be provi	ded in e-filing	utility me	ntioning nature of ex	empt income	e, relevant ci	lause and sect	tion
	e on which no tax is pa										
Incom	e on which no tax is pay	yable:	•								
Long T	Term capital gains u/s 1	12A not charge	eable to Inco	me-tax							
i.	Total sale consi	deration									
ii.	Total cost of ac	quisition									
iii	. Long term capi	tal gains as per	sec 112A								
		PART D – C	COMPUTA	TION OF T	AX PAYA	BLE					
D1	Tax payable on total	D2	Rebate u/	s 87A		D3	Tax after Rebate				
	income										
D4	Health and	D5	Total Tax	and		D6	Relief u/s 89 (Ple	ase ensure 1	to		
	education Cess @		Cess				submit Form 10E				
	4% on D3						relief)				
D7	Interest u/s 234A	D8	Interest u			D9	Interest u/s 234C	7			
D10	Fee u/s 234F	D11	Total Tax	, Fee and Inter	rest (D5+D7+	D8+D9+	D10 – D6)				
D12	Total Taxes Paid	D13	Amount p	avable]	D14	Refund				
			(D11-D12)				(D12-D11) (if D12	>D11)			
			D11>D12)					,			
PAR	T E – OTHER INFO	RMATION									
Detai	s of all Bank Accounts h	ield in India at a	ny time duri	ing the previou	s year (exclu	ding dor	mant accounts)				
Sl.	IFS Code of the	Name of tl	ne Bank	Acco	unt Number		Type of account	t T	Select Acc	ount for Re	efund
	Bank						(Dropdown to b		Credit		
							provided by E-f				
							utility)	8			
ī						.,					
All bank accounts held at any time are to be reported, exceptions.				t downout A /-							
	bank accounts neid at any iimum one account should		n dormant A/c.								
	asa multinla accounts ara		ed to one of the	validated acc	ounts doc	ided by CPC after a	aracassing t	ho roturn			

3. In case multiple accounts are selected, refund will be credited to one of the validated accounts decided by CPC after processing the return.

	Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments BSR Code Date of Deposit (DD/MM/YYYY) Serial Number of Challan Tax paid																										
						BSR	Code		D	ate o	f De	posit <i>(L</i>	D/M	M/YYY	Y)	Seri	al Nu	ımbe	r of C	hallar	1		T	ax p	aid		
						Col	(1)					Col (2)			Col (3)						Col (4)					
R																											
R		Sahadula TDS Da																									
	Schedule-TDS Deta							TDS/TO	TDS/TCS [As per Form 16/16A/16C						16C/2	27D	issu	ed l	by tl	ne Do	edu	ctor((s)/ l	Emj	oloy	er(s)/	/
	TAN of deductor/Collector or PAN/ Aadhaar No. of the Tenant					of the ictor/ r/Tenant	wl	ction unde nich TDS i deducted		Gr		ject to		ceipt w leduction			ded	r of t uctio lectio	n/	(colle	cted/ cted	T	oı clai	TCS it of imed Year	this	
	Col (2)			Col	(3a)		Col (3b)				C	ol (4)		Col (5) Co				Col	(6)		-	Col (7)			
T																											
T																											

VE.	R	\mathbf{F}	C	ΔΊ	T	O	١

	given in the making this	return in	correc my ca		est of my knowledge and belief, the information acome-tax Act, 1961. I further declare that I am (ty) and I am also competent to make this return).					
	Date:				Signature:					
If the return has been p	repared by a	a Tax Ret	turn P	reparer (TRP) give further deta	ails below:					
Identification No. of TR	RP			Name of TRP		Counter Signature of TRP				
If TRP is entitled for an	TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof";									

(b) for FORM ITR-4, the following FORM shall be substituted, namely: —

М	income-tax is deferred on ESOP or has agricultural income more than Rs. 5000 or has assets (including financial interest in any entity) located outside India.		A	Assessment Year				
"FOR	 and having income from business and profession which is computed under sections 44AD, 44ADA or 44AE, and having long-term capital gains under section 112A upto Rs. 1.25 lakh] [Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or if income-tax is deferred on ESOP or has agricultural income more than Rs. 5000 or has assets (including	2	0	2	5		2	6

DADE A CENTED	AT INTEGRAL TROOP							
PART A GENER	AL INFORMATION					_		
(A1) First Name	(A2) Middle Name			(A3) I	Last Name	(A4) Permanent Account		
						Number		
(A5) Date of Birth/Form	nation (DD/MM/YYYY)					(A6) Flat/Door/Block No.		
(A7) Name of Premises	/ Building/ Village				l/Street/Post	(A9) Area/Locality		
			1	Office				
(A10) Town/City/Distri	ct	(A11) State		(A12) Country	(A13) PIN Code/ZIP Code		
(A14) Aadhaar Number	r (12 digits)					(A15) Status		
	3 /					Individual □ HUF □		
						Firm (other than LLP)		
(A16) Residential/Offic	e Phone Number with STD code/ Mol	bile N	0.1	(A17)	Mobile No. 2	(A18) Email Address-1 (self)		
						Email Address -2		
	ment - 🗆 Central Govt. 🗖 State Go					Pensioners-CG Pensioners-SG		
☐ Pensioners-PSU ☐	Pensioners- Others □ Others □ N							
(A20)(a) Filed u/s (Tick))		39(1)-O i	n or befor	e due date, 🗖 139(4	4)-After due date, □ 139(5)-		
[Please see instruction]-		Revi	sed Ret	urn, 🗖 11	9(2)(b)- After Con	donation of delay		
(b) Or Filed in response	e to notice u/s	□ 13	39(9)	142(1)	148 □ 153C			
(A21)If revised/defective	e then enter Receipt No. and Date of f	iling						
of original return (DD/		_						
(A22) If filed in respon	se to notice u/s 139(9) /142(1)/148/15	53C o	r order	u/s 119(2	(b)- enter Unique			
Number/ Decument Ide	ntification Number (DIN) & Date of	cuch l	Votice o	r Order		/ /		

(A23) Have you exercised the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new (a) ☐ Yes (If 'Yes', please furnish date of filing and Acknowledgen				
Do you wish to continue to opt out of New Tax Regime for current				*
(If 'No', please furnish date of filing and Acknowledgement number		-		
(b) ☐ No (Please select 'No', even if Form 10IEA was filed after du			-	
Do you wish to opt out of New Tax Regime for current assessment	year	□ Yes □ No)	
(If 'Yes', please furnish date of filing and Acknowledgement numb	er of	Form 10-IE	A for AY	2025-26)
(c) ☐ Not Applicable (Return was filed in ITR Form 1/ Form 2 for	AY 2	024-25)		
Do you wish to opt out of New Tax Regime for current assessment	year	□ Yes □ No)	
(If 'Yes', please furnish date of filing and Acknowledgement numb	er of	Form 10-IE	A for AY	2025-26)
Note- Option under section 115BAC(6) should be exercised in Form 10IE	A on	or before the	e due da	te for filing return u/s 139(1).
(A24) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 13				
(Not applicable in case of firm) - (Tick) ☐ Yes ☐ No	` '		,	•
If yes, please furnish following information as provided in e-filing utility				
[Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of i fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to sect			on 139(1) but filing return of income due to
(i) Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 current account during the previous year? (Yes/No)			ore	Amount (Rs) (If Yes)
(ii) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/		eding Rs. 2 la	khs for	Amount (Rs) (If Yes)
(iii)Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount ex consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)		ng Rs. 1 lakh	on	Amount (Rs) (If Yes)
(iv)Are you required to file a return as per other conditions prescribed u proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition f				
(A25) Whether this return is being filed by a representative assessee? (<i>Ti</i>			n menu)	□ No
If yes, please furnish following information -	K) E			— 140
(1) Name of the representative				
(2) Capacity of the representative				
(3) Address of the representative				
(4) Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the representa	tive			
	uve			
ART B GROSS TOTAL INCOME				Whole- Rupee(₹) only
1 Income from Business & Profession (NOTE-Enter value from E8 of Sch	edule	e BP)	B1	
2 i Gross Salary (ia+ib+ic+id+ie)_			i	
a Salary as per section 17(1)	ia		_	
b Value of perquisites as per section 17(2)	ib			
c Profit in lieu of salary as per section 17(3)	ic			
Income from retirement benefit account maintained in a notified				
d country u/s 89A (country drop down will be provided in e-filing utility)	id			
e Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A	ie			
ii Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided	in e-	filino utility)	ii	
[Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3)]	in e j	ining unitry)		
iia Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A			iia	
iii Net Salary (i – ii-iia)			iii	
iv Deductions u/s 16 (iva + ivb+ivc)			iv	
a Standard deduction u/s 16(ia)	iva	1		
b Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb		-	
c Professional tax u/s 16(iii)	ive		-	
v Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv) (NOTE-Ensure			B2	
		500 1251)		
3 Tick applicable option: Self Occupied ☐ Let Out ☐ Deemed Let Out			_	
Tick applicable option: Self Occupied ☐ Let Out ☐ Deemed Let Out i Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year			i	
i Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year	ii		i	
i Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year ii Tax paid to local authorities iii Annual Value (i – ii)			iii	
i Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year ii Tax paid to local authorities iii Annual Value (i – ii)				
i Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year ii Tax paid to local authorities iii Annual Value (i – ii)	ii			
i Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year ii Tax paid to local authorities iii Annual Value (i – ii) iv 30% of Annual Value v Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to	ii iv v			

	(If loss, put the figure in negative)		
	Note:-Maximum loss from house property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.		
B4	Income from Other Sources drop down like interest from saving account, deposit etc. to be	B4	
	provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend and Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A, please mention quarterly		
	breakup for allowing applicable relief from section 234C		
	NOTE- Fill "Sch TDS2" if applicable.		
	Less: Deduction u/s 57(iia) (in case of family pension only)		
	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A		
B5	Gross Total Income (B1+B2+B3+B4) To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.	B5	

PAR'	T C-DEDUCT	IONS AND T	AXA	BLE TOTAL	L INCOME	(Refer to	instructions for	Deductions limits	as per Income-tax Act
C1	80C	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C2	80CCC	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C3	80CCD (1)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C4	80CCD(1B)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C5	80CCD(2)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C6	80D	(Details to be filled in drop down to be provided in e- filing utility)	
C7	80DD	(Details to be filled in drop down to be provided in efiling utility)	C8	80DDB	(Details to be filled in drop down to be provided in e- filing utility)	С9	80E	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C10	80EE	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C11		(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C12	80EEB	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C13	80G	(Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility)	C14		(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C15	80GGC	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C16	80TTA		C17	80TTB		C18	80U	(Details to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C18a	80CCH			deduction as per the e-filing	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)				
C19	Total deductions			8b)					C19
C20	Taxable Total In	come (B5 - C19))						C20

PAR	T D – TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS		
D1	Tax payable on total income (C20)	D1	
D2	Rebate on 87A	D2	
D3	Tax payable after Rebate (D1-D2)	D3	
D4	Health and Education Cess @ 4% on (D3)	D4	
D5	Total Tax, and Cess (D3+D4)	D5	
D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	D6	
D7	Balance Tax after Relief (D5 – D6)	D 7	
D8	Total Interest u/s 234A	D8	
D9	Total Interest u/s 234B	D9	
D10	Total Interest u/s 234C	D10	

D11	Fee u/s 234F	D11
D12	Total Tax, Fee and Interest (D7+ D8 + D9 + D10 + D11)	D12
D13	Total Advance Tax Paid	D13
D14	Total Self-Assessment Tax Paid	D14
D15	Total TDS Claimed (total of column 4 of Schedule-TDS1 and, column 6 of Schedule-TDS2)	D15
D16	Total TCS Collected (total of column (5) of Schedule-TCS)	D16
D17	Total Taxes Paid (D13+ D14 + D15 + D16)	D17
D18	Amount payable (D12 – D17, If D12 > D17)	D18
D19	Refund (D17 – D12, If D17 > D12)	D19
D20	Exempt income only for reporting purposes (If agricultural income is more than Rs. 5,000/-, use ITR 3/5) and Income on which no tax is payable (Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section)	D20
D21	Income on which no tax is payable:	
	Long Term capital gains under section 112A not chargeable to Income-tax	
	i. Total sale consideration	
	ii. Total cost of acquisition	
	iii. Long term capital gains as per section 112A	

	D21	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)										
K ACCOUNT		SI.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Type of bank account (Dropdown to be provided by E- filing utility)	Select Account for Refund Credit					
BAN		i										
		ii										

- All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c.
 Minimum one account should be selected for refund credit.
 In case multiple accounts are selected, refund will be credited to one of the validated accounts decided by CPC after processing the return.

SCH	IEDULE BP – DETAILS OF INC	COME FROM	I BUSINESS OR PROFES	SSION					
COM	PUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINES	S INCOME UND	ER SECTION 44AD						
S.	Name of Business		Business code	Description					
No.									
(i)									
E1		Gross Turnover or Gross Receipts (E1 limited to Rs.2 Crores, however if [E1b+ E1c] is less than or							
	equal to 5% of E1 then the limit under E1 is extended to Rs.3 Crores.) a Through a/c pavee cheque or a/c pavee bank draft or bank electronic clearing system received or E1a								
		prescribed electronic modes received before specified date							
	b Receipts in Cash	E1b							
	c Any mode other than a and b	c Any mode other than a and b							
E2	Presumptive Income under section 44AD								
	a 6% of E1a or the amount claimed to h	ave been earned,	whichever is higher	E2a					
	b 8% of (E1b+E1c) or the amount claim	ed to have been ea	arned, whichever is higher	E2b					
	c Total (a + b)			E2c					
	NOTE—If Income is less than the above percen	ntage of Gross Recei	ipts, it is mandatory to have a tax audit	under					
	44AB & other ITR as applicable has to be filed								
	PUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME	FROM PROFES	SIONS UNDER SECTION 44ADA	4					
S.	Name of Business		Business code	Description					
No.									
(i)									

_											
Е3			E3 limited to Rs.50 E3 is extended to 1		+ E3c] is less than or equal to 5%	of E3 E3					
	a			a/c payee bank draft or seceived before specifi	bank electronic clearing system re	ceived E3a					
	b	Receipts in		s received before specifi	cu date	E3b					
	c		other than a and b			E3c					
E4				DA (50% of E3) or the amo	unt claimed to have been earned, which						
LT	high	-	ne under section 4421	Dir (50 /0 01 E5) of the amo	ant claimed to have been carned, which	never is E4					
	NOT	ΓE—If Income	e is less than 50% of G	ross Receipts, it is mandato	ry to have a tax audit under 44AB & o	ther ITR					
	as aj	pplicable has t	o be filed								
	APUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE										
S.			Name of Busin	iess	Business code	Description					
No. (i)											
(1)											
	Re	gistration	Whether	Tonnage capacity of	Number of months for which	Presumptive income	11/5				
		o. of goods	owned/ leased/	goods carriage	goods carriage was owned/		ods				
		carriage	hired	(in MT)	leased/hired by assessee	carriage	ous				
	2			<u> </u>		(Computed @ Rs.1000	per				
						ton per month in c	case				
						tonnage exceeds 12MT.					
						else @ Rs.7500 per mor					
						or the amount claimed					
						have been actually earn	<u>1ed,</u>				
(1)		(1)	(3)	(3)	(4)	whichever is higher					
(i)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
(a) (b)											
	2011/ 01	ntions as noc	ossary (At any time	during the year the nur	nber of vehicles should not exceed	10 vohiolos)					
Auu	OW O	ptions as nec	essary (At any time	uning the year the hui	inder of vehicles should not exceed	10 venicies)					
E5	Pre	sumntive Inc	ome from Goods (arriage under section 44	AE [total of column (5)]	E5					
Lo					AE or the number of Vehicles owned a	_					
			er ITR, as applicable			, and g					
E6			est paid to the part			E6					
			be filled up only by f								
E7			ome u/s 44AE (E5-			E7					
E8	Inco	ome chargeal	ble under the head	'Business or Profession'	(E2c+E4+E7)	E8					
DIEG	D3.5.4	TION DEG	A DDING TUDNO	HED (CD OCC DE CEIDE	DEDODTED FOR COT						
					REPORTED FOR GST						
Note -	- Piea	ise turnish ti	ie information beio	w for each GSTIN No. s	eparately						
E9	GST	ΓΙΝ No(s).				E9					
E10			outward supplies a	s per the GST returns fi	led	E10					
			F F								
FINA	NCIA	AL PARTIC	ULARS OF THE B	USINESS							
Note-	-For	E11 to E25 f	furnish the informa	tion as on 31st day of Ma	arch, 2025						
E11			bers own capital			E11					
E12		ured loans				E12					
E13		secured loan	S			E13					
E14		vances				E14					
E15		dry creditors er liabilities	S			E15					
E16		E16									
E17	Tota	E17									
E18	Fixe	E18 E19									
E19 E20		entories dry debtors				E19 E20					
E20		ary debtors ance with bar	nks			E20					
E21		ance with bar h-in-hand	IINS			E21					
E23		ns and adva	nces			E23					
E24		er assets	iices			E23					
E25			8+E19+E20+E21+F	E22+E23+E24)		E25					
NOT					E20, E22 are mandatory and others if avo						
MUL		rieuse rejer	w instructions for fillin	g out ints schedule (£15, £19,	E20, E22 are managiory and others if avo	uuvie)					

SCHEDULE IT DETAILS OF ADVANCE TAX AND SELF ASSESSMENT TAX PAYMENTS																							
	BSR Code Col (1)				Date of Deposit (DD/MM/YYYY) Col (2)				Challan No. Col (3)			Tax paid Col (4)											
R1																							
R2																							
R3																							
NOTE > Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in D13 & D14																							

	Schedule	TCS Details of Tax Colle	cted at Source [As per	Form 27D issued	by the Collector(s)]					
Sl No	Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Details of amount paid as mentioned in Form 26AS	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed					
(1)	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)					
I										
Ii										
	NOTE ➤ Please enter total of column (5) of Schedule-TCS in D16									

SCHEDULE TDS-1 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM SALARY											
	[As per Form 16 issued by Employer(s)]										
	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted							
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)							
S1											
S2											
S3											
NOTE▶	Enter the to	tal of column 4 of Schedule-TDS1 and colum	n 6 of Schedule-TDS2 in D15								

As p	As per Form 16 A issued or Form 16C or Form 16D furnished by Deductor(s)											
SI. No.	of the Deduct or/	which TDS is deducte d	on er h is Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year	TDS credit being claimed this Year (only if corresponding receipt is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)	Corresponding withdrawals	TDS credit being carried forward				
			Fin. Year in which deducted	TDS b/f	TDS Deducted	TDS Claimed	Gross Amount	Head of Income				
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
i												
ii												

I,					son/ daugh		solemnly		
with the provide	rovisions of	the Inc	ome-ta	x Act, 19	961. I further declare that	iven in the return is correct and c I am making returns in my capacit return and verify it. I am holding	y as(drop down		
Place: Date :							Signature here →		
If the retu	irn has been	n prepa	red by	a Tax Re	eturn Preparer (TRP) giv	e further details as below:			
TRP PIN ((10 Digit)		Name	of TRP		Counter Signature of TRP			
Amount to	be paid to	TRP".							

[F. No. 370142/3/2025-TPL]

SURBENDU THAKUR, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 252(E), dated the 22nd April, 2025.

Explanatory Memorandum: - It is hereby certified that no person shall be adversely affected by giving retrospective effect to these rules.